"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मई 2014— वैशाख 31, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-22/18/2014. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कॉलम (2) में उल्लिखित नगर पालिक निगमों को, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित शहरी क्षेत्र में, स्थानीय सार्वजनिक परिवहन तथा इसके अन्य आनुषंगिक कार्यों के संचालन का कार्य, उक्त तालिका के कॉलम (4) में सूचीबद्ध शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, स्वयं या किसी विशेष प्रयोजन यान के माध्यम से, जिसमें नगर पालिक निगम की अकेले या संयुक्त रूप से अन्य नगर पालिक निगमों के साथ हिस्सेदारी हो, सौंपती है, अर्थात् :-

तालिका

क्र.	नगर पालिक निगम	शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित स्थानीय निकाय	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	मानाकैंप, बीरगांव, आरंग, बलौदाबाजार, पलारी, कसडोल, लवन, महासमुंद, फिंगेश्वर, बागबाहरा, धमतरी, भखारा, गोबरानवापारा, राजिम, अभनपुर.	(एक) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर किराया विहित किया जायेगा (दो) बसें निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही चलायी जायेंगी. (तीन) राज्य शासन द्वारा निगम को धारा 68 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोई भी प्रशासनिक व्यय देय नहीं होगा.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(चार) जिला कलेक्टर, जिसके अधिकार क्षेत्र में शहरी निगम आता हो, धारा 68 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राधिकारी होगा.
2.	भिलाई	भिलाई-चरौदा, कुम्हारी, जामुल, दुर्ग, उतई, पाटन, धमधा, परपोडी, देवकर, गंडई, साजा.	-तदैव-
3.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़, कवर्धा, पिपरिया, बोड़ला, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई.	-तदैव-
4.	बिलासपुर	रतनपुर, तिफरा, बिल्हा, सकरी	-तदैव-
5.	कोरबा	कटघोरा, छुरियाकला, दीपका	-तदैव-
6.	रायगढ़	किरोड़ीमलनगर, पुसौर, सरिया, जांजगीर-नैला, चांपा, अकलतरा.	-तदैव-
7.	चिरमिरी	शिवपुर-चरचा, बैकुंठपुर	-तदैव-
8.	अंबिकापुर	लखनपुर, विश्रामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, कुनकुरी.	-तदैव-
	जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कोण्डागांव, फरसगांव, विश्रामपुरी, दंतेवाड़ा, गीदम.	-तदैव-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2014

क्रमांक एफ 5-22/18/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-22/18/2014 दिनांक 20-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 20th May 2014

NOTIFICATION

No. F. 5-22/18/2014. — In exercise of the powers conferred by Section 68 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, entrusts to the Municipal Corporations mentioned in column (2) in the Urban agglomeration mentioned in column (3) of the Table below, Subject to the conditions listed in column (4) of the side Table with the function of operating local public transport and other functions incidental thereto directly or through a special purpose vehicle, in which the Municipal Corporations shall have Share holdings singly or jointly with other Municipal Corporation, namely :-

TABLE

Sl. No. (1)	Municipal Corporation (2)	Local Areas included in the Urban Agglomeration (3)	Conditions (4)
1.	Raipur	Mana Camp, Birgaon, Arang, Balodabazar, Palari, Kasdol, Lawan, Mahasamund, Fingeshwar, Bagbahra, Dhamtari, Bhakhara, Gobranayapara, Rajim, Abhanpur.	(i) The fare shall prescribed by the State Government from time to time. (ii) The buses must ply according to the prescribed time Table. (iii) No extra costs of the administration shall be payable by the State Government to the Corporation under sub-section (3) of Section 68. (iv) The District Collector in whose jurisdiction the Corporation Town falls shall be the authority under sub-section (4) Section 68.
2.	Bhilai	Bhilai-Charoda, Kumhari, Jamul, Durg, Utai, Patan, Dhamdha, Parpodi, Deokar, Gandai, Saja.	----do----
3.	Rajnandgaon	Dongargarh, Kawardha, Pipariya, Bodla, Khairagarh, Chhuikhadan, Gandai.	----do----
4.	Bilaspur	Ratanpur, Tifra, Bilha, Sakri	----do----
5.	Korba	Katghora, Chhuriyakala, Dipka	----do----
6.	Raigarh	Kirodimalnagar, Pusaur, Saria, Janjgir-Naila, Champa, Akaltara.	----do----
7.	Chimiri	Shivpur-Charcha, Baikunthpur	----do----
8.	Ambikapur	Lakhanpur, Vishrampur, Ramanujganj, Jashpur, Kunkuri.	----do----

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Jagdalpur	Bastar, Kanker, Charama, Narharpur, Kondagaon, Farasgaon, Vishrampuri, Dantewada, Geedam.	-----do----

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.